न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 90/2018 **(225 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. फूलचन्द उर्फ फूला पुत्र श्री फूसा जाति बलाई
2. शान्तिदेवी पत्नी श्री फूलचन्द उर्फ फूसा जाति बलाई
3. जगदीश पुत्र श्री बुद्धराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम कोलाहेडा तहसील थानागाजी जिला अलवर

..... अपीलांटस

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र श्री श्योदान जाति अहीर निवासी ग्राम ढाणी ज्ञानपुरा तहसील बानसूर हाल आबाद ग्राम चांदपुरी पोस्ट चांदपुरी ढाणी जोगिया वाली के पास तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार थानागाजी जिला अलवर राज0

.....असल रेस्पोडेण्टस

3. अभिनन्दन पुत्र श्री हरिशचन्द
4. गिर्राज पुत्र श्री हरिशचन्द
   - 4/1. श्रीमती राजबाला पत्नी स्व0 गिर्राज
   - 4/2. राहुल पुत्र स्व0 गिर्राज
   - 4/3. प्रवीण पुत्र स्व0 गिर्राज
   - 4/4. अकलेश पुत्र स्व0 गिर्राज
   - 4/5. प्रियंका पुत्री स्व0 गिर्राज जाति ब्राहमण निवासी ग्राम कोलाहेडा तहसील थानागाजी जिला अलवर
5. मीरादेवी पुत्री श्री हरिशचन्द
6. इस्मिता पुत्री श्री हरिशचन्द जाति ब्राहमण निवासीयान ग्राम कोलाहेडा तहसील थानागाजी जिला अलवर

.....तरतीबी रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री आनंद सिंह, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री दिनेश कुमार यादव, अभिभाषक रेस्पो0।

::: निर्णय :::

दिनांक :–06.03.2020

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी थानागाजी के निर्णय दिनांक 07.03.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 प्रार्थी द्वारा तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी थानागाजी में एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नंबर 706 रकबा 0.78 है0, 707 रकबा 0.34 है0, 708 रकबा 0.47 है0, 709 रकबा 0.99 है0, 710 रकबा 0.01 है0, 711 रकबा 0.84 है0, किता 06 कुल रकबा 3.43 है0 वाके ग्राम चांदपुरी तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान में स्थित है जो कि उक्त प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी है। उक्त विवादित आराजी प्रार्थी रेस्पो0 के 1/3 हिस्से कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है। प्रार्थी ने अपनी विवादित आराजी में रिहायश हेतु खाम/पुख्ता मकानात बना रखे हैं और परिवार सहित रहता है और अपनी विवादित खातेदारी की आराजी पर शांतिपूर्वक काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। आज भी मौके पर विवादित आराजी पर प्रार्थी का कब्जा काश्त खातेदारी मौजूद है। प्रार्थी की विवादित आराजी के दक्षिण में अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 की खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 1 रकबा 0.01 है0, 2 रकबा 0.18 है0, 3 रकबा 0.50 है0, 6 रकबा 0.51 है0, 7 रकबा 0.06 है0 वाके ग्रम कोलाहेडा तहसील थानागाजी की आराजी स्थित है।प्रार्थी की उक्त विवादित आराजी की पूर्व में ग्राम राजपुरा की आराजी स्थित है एवं पश्चिम में ग्राम चांदपुरी की आराजीयात स्थित है। प्रार्थी ने उपरोक्त आराजी के पूर्व खातेदारान अमृतलाल, अमितकुमार, मनीष कुमार पि0 ओमप्रकाश, शकुन्तला पत्नि ओमप्रकाश ब्राहमण निवासी कोलाहेडा से 1/3 हिस्सा जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा सन 2011 में खरीदकर कब्जा प्राप्त किया था। प्रार्थी की उपरोक्त आराजी में आने जाने का कदीमी रास्ता 15 फुट चौडाई का ग्राम कोलाहेडा में स्थित हाड्या नदी से चलकर फिर अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 की उपरोक्त आराजी के तरफ उत्तरी डोल के सहारे सहारे जारी चला आता है। प्रार्थी बरोज खरीद से ही अपनी विवादित आराजी में एवं आराजी में बने मकानात में हमेशा से ही अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 की उपरोक्त आराजी के तरफ उत्तरी डोल के सहारे सहारे चलकर अपनी विवादित खातेदारी आराजी में आता जाता रहा है व अपने हल, बैल, वाहन व ट्रैक्टर आदि लाते व ले जाते थे। जो रास्ता आज भी मौके पर मौजूद है। उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी की आराजी में व आराजी में बने मकानात में आने जाने का दूसरा रास्ता नही है। प्रार्थी अकेला बृद्ध व्यक्ति है। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 मुठमर्द किस्म के बेईमान व्यक्ति हैं जिनके मन में बेईमानी आ गई है।जो प्रार्थी को उक्त रास्ता होकर आने जाने में व साधन तथा सामान लाने ले जाने में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिये जर्ये अदालत उक्तानुसार रास्ता दिलाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया कि उक्त चाहे गये रास्ते को नक्शा ट्रेस में दर्शाये अनुसार राजस्व रिकार्ड में सिवायचक रास्ता दर्ज करते हुये नक्शे में अमल करावें। इस हेतु नक्शा ट्रेस में दर्शाये भूमि के क्षेत्रफल 0.12 है0 वाके कोलाहेडा की गणना करके उसके अनुसार क्षेत्र मे प्रचलित इस रास्ते हेतु चाही गई भूमि की बाजार दर की दर से दूगनी राशि प्रार्थी से वसूल कर अप्रार्थीगणों को भुगतान करे। राशि जमा होने के उपरान्त ही उक्त चाहे गये रास्ते को राजस्व रिकार्ड में गै.मु. रासता का अमल दरामद करावें। उक्त रास्ता सार्वजनिक उपयोग व उपभोग में लिया जावेगा। तहत अदालत द्वारा पारित इस आदेश दिनांक 07.03.2017 से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अपीलांट अभिभाषक ने बहस की शुरूआत करते हुए अपील के तथ्यों को दोहराया और अधीनस्थ न्यायालय में पेश वाद के तथ्यों का हवाला देते हुए कहा कि आराजी खसरा नंबर 1 रकबा

0.01 है0, 2 रकबा 0.18 है0, 3 रकबा 0.50 है0, 6 रकबा 0.51 है0, 7 रकबा 0.06 है0 वाके ग्रम कोलाहेडा तहसील थानागाजी जिला अलवर मुताबिक राजस्व रिकार्ड हम अपीलांटस की व अन्य खातेदारान तरतीबी रेस्पो0 की खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात है। जिस विवादित आराजीयात में मौके पर कभी कोई न तो रास्ता रहा, ना वर्तमान में रास्ता है। असल रेस्पो0 तहसीलदार थानागाजी जिला अलवर राज0 ने मौके की गलत रिपोर्ट तहत अदालत में पेश की है। जिस पर तहत अदालत द्वारा महज असल रेस्पो0 की रिपोर्ट व कथन को सत्य मानते हुये विवादित आराज़ीयात के खातेदारान को बिना सुनवाई का अवसर दिये, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य तथ्यों के विपरीत, खिलाफ मोका, कब्जा, रिकार्ड के आदेश दिनांक 07.03.2017 पारित कर दिया गया। मौके पर कोई रास्ता है ही नही तो उसमें से आने जाने व वाहन आदि ले जाने का सवाल ही नही उठता है। रिपोर्ट मौका ऑफिस में बैठकर तैयार की गई है, संबंधित खातेदारान से कोई संपर्क नही किया गया, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटान को सुनवाई हेतु कोई अवसर ही नही दिया गया। तहत अदालत द्वारा केवल तहसीलदार व असल रेस्पो0 संख्या 01 के कथनों पर विश्वास करते हुये उक्त आदेश पारित किया है। तहत अदालत द्वारा हम अपीलांट के खिलाफ इकतरफा कार्यवाही करते हुये फैसला किया है। धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत नवीन रासता देने का प्रावधान है, जिसके लिये यह आवश्यक है, कि चाहे गये रास्ते के अलावा प्रार्थी की आराजीयात पर आने जाने का कोई वैकल्पिक रास्ता है या नही, तथा चाहा गया रास्ता केवल सुविधा भोगी तो नही है। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जांच या साक्ष्य पत्रावली पर आना अतिआवश्यक है। इस प्रकरण में तहत अदालत द्वारा इस बाबत कोई जांच नही की गई। जबकि प्रार्थी असल रेस्पो0 संख्या 01 के पास अपनी आराजीयात के लिये आने जाने का वैकल्पिक रास्ता पहले से मौजूद है तो ऐसी स्थिति में असल रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नही है। तहत न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय खिलाफ तथ्य कानून मौका साक्ष्य प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत निष्कर्ष निकालते हुये पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी जिला अलवर दिनांक 07.03.2017 निरस्त फरमाया जावे।

जबाव बहस में अभिभाषक रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया और कथन किया कि प्रार्थी की आराजी में आने जाने का कदीमी रास्ता 15 फुट चौडाई का ग्राम कोलाहेडा में स्थित हाड़या नदी से चलकर फिर अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 की उपरोक्त आराजी के तरफ उत्तरी डोल के सहारे सहारे जारी चला आता है। प्रार्थी बरोज खरीद से ही अपनी विवादित आराजी में एवं आराजी में बने मकानात में हमेशा से ही अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 की उपरोक्त आराजी के तरफ उत्तरी डोल के सहारे सहारे चलकर अपनी विवादित खातेदारी आराजी में आता जाता रहा है व अपने हल, बैल, वाहन व ट्रैक्टर आदि लाते व ले जाते थे। जो रास्ता आज भी मौके पर मौजूद है। उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी की आराजी में व आराजी में बने मकानात में आने जाने का दूसरा रास्ता नही है। प्रार्थी अकेला बृद्ध व्यक्ति है। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 मुठमर्द किस्म के बेईमान व्यक्ति हैं जिनके मन में बेईमानी आ गई है।जो प्रार्थी को उक्त रास्ता होकर आने जाने में व साधन तथा सामान लाने ले जाने में बाधा उत्पन्न करते हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान को विधिवत सुनवाई का अवसर दिया गया है, प्रार्थीगण जानबूझकर तहत अदालत में उपस्थित नही हुये। तहसीलदार द्वारा नियमानुसार मौका रिपोर्ट बनवायी जाने के बाद पुनः स्पष्ट रिपोर्ट बनवाई जाकर विधिसम्मत अपना निर्णय पारित किया है जो न्यायहित में है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। तहत न्यायालय के आदेश दि0 07.03.2017 का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अनुसार अप्रार्थी संख्या 01 एवं 04 के विरूद्ध दिनांक 22.11.16 व अप्रार्थी संख्या 02 के विरूद्ध दिनांक 25.11.16 को अनुपस्थित रहने पर एकतरफा कार्रवाई ही की गई तथा दिनांक 11.02.17 को अप्रार्थी संख्या 03 के विधिक वारिसान ने सहमति प्रदान की है। तहत अदालत द्वारा अपीलांट्स को नोटिस जारी कर सुनवाई का विधिवत अवसर दिया गया, परन्तु रेस्पो0 के जबावदावा पेश करने हेतु उपस्थित नही होने के कारण एकतरफा कार्यवाही की गई है। प्रकरण में न्यायालय में नियमित सुनवाई में निर्णय किया गया है, न कि राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में। उपखण्ड अधिकारी द्वारा मौका रिपोर्ट मंगवाई जाने के बाद तहसीलदार थानागाजी से दिनांक 04.01.2017 को पुनः स्पष्ट रिपोर्ट भिजवाने के उपरान्त निर्णय पारित किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई विधिक या तथ्यात्मक त्रुटि नही पाते हैं।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी थानागाजी के निर्णय दिनांक 07.03.2017 यथावत रखा जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । निर्णय की प्रति मूल पत्रावली के साथ संलग्न कर तहत न्यायालय को उनकी पत्रावली प्रेषित की जावें ।

निर्णय आज दिनांक 06.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि राम मीना) 6/3/2020
राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर